न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/2020	2020/00036	03–09–2020	10–02–2021

1–फूल सिंह पुत्र रामसुखा
2–प्रहलाद पुत्र रामसुखा
3–लालचन्द पुत्र रामसुखा
4–हरसहाय पुत्र मूल्या
5–धनसिंह पुत्र हरसहाय
6–रामपाल पुत्र हरसहाय जातियान जाटव निवासीयान ग्राम नैथला तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–सुखबाई पत्नी रामखिलाड़ी पुत्र नन्दराम जाति मीणा निवासी ग्राम नैथला तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार मालाखेड़ा का निर्णय दिनांक 07.08.2020 अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01. श्री भगवान सहाय शर्मा –वकील अपीलान्ट्स
02 श्री गोविन्दराम यादव –वकील रेस्पो0

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 07.08.2020 से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रैस्पो0 द्वारा मिन अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अंतर्गत धारा 183 बी आरटीएक्ट 1955 का प्रा0पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया कि उसकी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1011/2522, 1012, 830, 835 पर अतिक्रमण किया हुआ है। जिसे मुक्त कराया जावें। संबंधित पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी द्वारा अवगत कराया कि खसरा नम्बर 1011/2522 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम ओदी का बास राजस्व रेकॉर्ड में सुखबाई पत्नी रामखिलाड़ी व खसरा नम्बर 1012 रकबा 1.27 है0 रामखिलाडी पुत्र नन्दराम के नाम खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है जो प्रार्थी द्वारा सन् 2007 में खरीद की गई थी। खसरा नम्बर 1011/2522 रकबा 1.26 है. में से लगभग 0.04 है0 पर फूलसिंह, प्रहलाद, लालचन्द पुत्रान् रामसुखा द्वारा कच्चे व अर्ध पक्के आवासीय मकान बनाये हुये है तथा इसी आराजी में लगभग 0.06 है0 पर हरसहाय पुत्र मूल्या, धनसिंह पुत्र हरसहाय व रामपाल पुत्र हरसहाय द्वारा कच्चे व अर्ध पक्के आवासीय मकान बनाये हुये है। उपरोक्त आराजी का बाकी हिस्सा व खसरा नम्बर 1012 में जौत लगाकर पड़त पडी हुई है। जिस पर स्वंय खातेदार का कब्जा है एंव खसरा नम्बर 830 व 834 पर रामखिलाडी व उनके परिवार वालो का कब्जा है। मौके पर कपास, भिण्डी व चरी बाजरी बोई हुई है। खसरा नम्बर 835/0.07 है0 पर चारागाह में मौके पर कपास की फसल बोई हुई है। कब्जे के लिए न्यायालय सहायक एवं माननीय न्यायालय एडीजे नं0 1 में वाद विचाराधीन है।–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी रामखिलाडी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रा0पत्र पेश किया है। क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 321/4 सिवायचक है जो 05 बिस्वा भूमि पर हम प्रार्थीगण का कब्जा व सन् 1949 से रिहायश बनी हुई है। बिजली का कनेक्शन भी है। प्रार्थीया सुखबाई पत्नी रामखिलाडी ने दिनांक 26.11.2007 को नूरशाह से जमीन खरीदी थी किन्तु खसरा नम्बर 1011/2522 में स्थित अप्रार्थीगण की आबादी से रामखिलाडी व उसकी पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। विवादित भूमि आबादी की है इसलिए तहसीलदार को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। जवाब के साथ अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत नैथला का प्रस्ताव दिनांक 22.11.2002 की बैठक का विवरण पेश किया गया। उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा सम्भलवाने का आलोच्य आदेश गलत रूप से पारित किया है। वकील अपीलांट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण दिनांक 19.07.2019 से विचाराधीन था। पीठासीन अधिकारी पदोन्नत होने के कारण दिनांक 30.07.2020 को स्थानांतरण हो गया था। फिर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 07.08.2020 को उक्त आलोच्य आदेश पारित कर दिया जबकि स्थानांतरण आदेश के बाद पीठासीन अधिकारी को आलोच्य आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा जान बूझकर निजी स्वार्थ के वसीभूत पर आलोच्य आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नैथला में से कुछ क्षेत्र का सीमांकन करते हुए अलग से राजस्व ग्राम ओदी का बास बनाया गया। सबिक खसरा नम्बर 321 बहुत बड़ा सिवायचक का रकबा था, जो मौके पर काफी समय से पड़त पडा हुआ था। जिस पर किसी का कब्जा नहीं था। अपीलांट्स जो अनुसूचित जाति के है और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन–पोषण करते है जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी इसलिए इस साबिक खसरा नम्बर 321 में से लगभग 05 बिस्वा रकबे पर वर्ष 1949 में कच्चे मकान बनाकर रिहायश शुरू कर दी थी। उक्त खसरा नम्बर का सन् 1975 में आवंटन अभियान के समय विभिन्न लोगों को आवंटन कर दिया गया। जिसमें से आवंटन अधिकारी द्वारा 13 बिस्वा रकबा छोडते हुए बाकी रकबा आवंटन कर दिया गया। परन्तु आवंटन के कई वर्षों बाद तक भी किसी आवंटी ने मौके पर कब्जा नहीं किया और यह रकबा खाली पडा रहा। फिर भी कुछ आवंटियों द्वारा गैरकानूनी तरीके से खातेदारी दर्ज करा ली तथा उक्त आराजी को विक्रय भी कर दिया। उक्त खरीददारों ने भी मौके पर कोई कब्जा नहीं किया। बन्दोबस्त् संवत 2051 के दौरान उक्त शेष रहे रकबे 13 बिस्वा यानि 16 ऐयर को तितम्बा काटकर नया नक्शा बनाया गया। यह अपीलांट्स की आबादी के स्थान को छोड़कर कुछ दुरी पर उत्तर दिशा में नया खसरा नम्बर 1011/2521 रकबा 16 ऐयर बना दिया गया जो आज भी रेकॉर्ड में सिवायचक दर्ज चला आ रहा है। अपीलांट्स अनपढ़ ग्रामीण है इसलिए उन्हें उक्त तितम्बे काटे जाने की जाने की कोई जानकारी नहीं हो सकी। यदि वक्त बन्दोबस्त् उक्त तितम्बा अपीलांट्स की आबादी के स्थान पर काट दिया जाता तो यह विवाद उत्पन्न नहीं होता। राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा रैस्पो0 द्वारा खरीदा गया बिना कब्जे का विवादित खसरा नम्बर 1011/2522 का तितम्बा बिना मौका देखे काट दिया गया। यदि मौके की जांच कर तितम्बा काटा जाता तो अपीलांट्स की आबादी भूमि को शामिल नहीं किया जाता। रैस्पो0 द्वारा अपीलांट्स के साथ उक्त भूमि को खाली कराने के लिए कई बार मारपीट कर चुके है तथा पुलिस के साथ साठ–गांठ कर अपीलांट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। एक न्यायालय में अब भी फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है। अपीलांट्स की इस आबादी भूमि का बन्दोबस्त् विभाग द्वारा कब्जे के आधार पर गै0मु0आबादी हरिजनान सिवायचक दिला लगानी रेकॉर्ड में दर्ज कर शेष बची 16 ऐयर भूमि में 08 एयर भूमि का तितम्बा काट कर अलग नम्बर बना दिया जाता तो यह विवाद –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उत्पन्न नहीं होता। अपीलांट्स का कब्जा सन् 1949 से होने के बावजूद भी बन्दोबस्त विभाग द्वारा संवत् 2020 व 2051 में भी रेकॉर्ड दुरूस्त नहीं किया गया। सन् 1995 में इन्द्रा आवास के तहत अपीलांट्स की माताजी स्व0 निहाली को सहायता स्वीकृत कर पक्का मकान बनाया गया। उक्त नक्शा ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पुरानी आबादी को देखते हुए ही बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिया गया। अपीलांट्स का उक्त आराजी में वर्ष 1991 से रेकॉर्डेड अतिक्रमण दिखाते हुए अपीलांट्स संख्या 01 लगा0 03 की माताजी स्व0 श्रीमति निहाली के नाम कब्जा भी दर्ज कर दिया गया जो कई वर्षों तक दर्ज रेकॉर्ड होता रहा। जिसकी पुष्टि खसरा परिवर्तनशील व तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस दिनांक 21.10.1992, 23.02.1996 से भी होती है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा अर्से दराज से बदस्तूर चल रहा है। दिनांक 19.09.1995 को अपीलांट्स की माताजी को ग्राम पंचायत द्वारा इन्द्रा आवास योजना में उक्त आरजी पर पक्का मकान बना दिया गया जो आज भी मौजूद है। इसी पते पर राशन कार्ड, आधार कार्ड व मतदाता फोटो पहचान पत्र बने हुए है। ग्राम पंचायत नैथला की बैठक दिनांक 22.11.2002 में प्रस्ताव संख्या 02 में अपीलांट्स के कब्जाशुदा उक्त आबादी का निर्णय कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बन्दोबस्त् संवत् 2051 में ग्रम नैथला का अंतिम खसरा नम्बर 1011/2521 दर्ज किया गया है। अर्थात् उस समय बन्दोबस्त् द्वारा विवादित खसरा नम्बर 1011/2522 बनाया ही नहीं गया था तथा रैस्पो0 द्वारा जो साबिक खसरा नम्बर 321/4 बताया जा रहा था वह मिलान क्षेत्रफल में कहीं भी दर्ज नहीं है। रैस्पो0 द्वारा हाल खसरा नम्बर 1011 में से बन्दोबस्त के बाद जो खसरा नम्बर तरमीम कर नया 1011/2522 बनाया गया है। उस हाल खसरा नम्बर 1011 को मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 321 मिन ही दर्ज है। कहीं भी 321/4 दर्ज नहीं है जबकि रैस्पो0 के विक्रेता नूरशाह ने नत्थू सिंह से साबिक खसरा नम्बर 321/4 खरीद किया था। जिसका सवत् 2051 में इन्द्राज ही नहीं था क्योंकि नूरशाह व नत्थू सिह को मौके पर कब्जा भी नहीं रहा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन नहीं किया गया। रैस्पो0 के सन् 2007 में इस खसरा नम्बर को खरीदने के बाद ही अपीलांट्स की आबादी के स्थान पर जानबूझकर इस खसरा नम्बर के वर्तमान नक्शें में गलत तितम्बा काटा गया है। रैस्पो0 ने जो खसरा नम्बा नूरशाह से सन् 2007 में खरीद करना बताया गया है मौके पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा। रैस्पो0 ने बिना कब्जे के ही बयनामा करा लिया जो अपने आप में शून्य है। यदि बयनामा विवादित माना भी जावें तो भी उसका तितम्बा अपीलांट्स की आबादी को छोडकर ही काटा जाना चाहिए था। रैसपो0 द्वज्ञरा अपीलांट्स को अपनी कच्ची पक्की आबादी से बेघर करने की साजिश पूर्वक तहत न्यायालय ने प्रा0पत्र पेश किया और इसी तरह की कार्यवाही अलग–अलग न्यायालय में पेश कर नाजायज तंग व परेशान करता आ रहा है। रैस्पो0 द्वारा इसी विवाद बाबत कई मुकदमें न्यायालय सहायक कलक्टर के यहां विचाराधीन है। जिसमें आलोच्य आदेश से पूर्व स्थगन आदेश भी चला रहा है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को बेदखल करने की विधि विरूद्ध आज्ञा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार मालाखेड़ा होने के साथ–साथ भूमिधारी भी थे किन्तु उन्होनें आलोच्य आदेश पारित करने पूर्व विवादित आराजी का मौका तक नहीं देखा आनन–फानन में स्थानांतरण आदेश आने के बाद एवं कोरोना महामारी के चलते हुए व अलवर जिले के कन्टेंमेंट क्षेत्र होने के बावजूद आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में जिस ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2020 का उल्लेख किया गया है जिसमें अवगत कराया है कि ग्रम पंचायत नैथला की बैठक दिनांक 22.11.2002 में प्रस्ताव सं0 2 पर पट्टा संबंधी कोई कार्यवाही दर्ज नही है। सरासर गलत है। क्योंकि ग्राम पंचायत ने उक्त रिपोर्ट देने से पूर्व कार्यालय के रेकॉर्ड को नहीं देखा और रैस्पो0 के राजनितिक दबाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय में गलत रिपोर्ट पेश कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने यह गौर नहीं किया–

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कि उक्त रिपोर्ट में ग्रम पंचायत नैथला द्वारा जारी स्वीकृत नक्शा दिनांक 22.11.2002 का कोई खण्डन नहीं किया गया और न इस गलत अथाव फर्जी बताया गया है। जबकि स्वीकृत नक्शा आबादी का है। ग्रम पंचायत के विकास कार्य की संज्ञा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.08.2020 खारिज फरमाया जावे। अपील के समर्थन में आरआरडी 2018 पेज 228–234, आरआरटी 2014 पेज 1356–1359 व आरआरटी 2008 पेज 28–30 पेश किये गये है।

विद्वान वकील रेस्पौ0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि रैस्पो0 की खातदोरी आराजी पर अपीलांट द्वारा जबरन मकान बनाकर कब्जा किया हुआ है जबकि उक्त आराजी बाबत माननीय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 अलवर द्वारा रैस्पो0 का दावा दिनांक 09.01.2013 को खारिज किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को सुनकर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा पट्टे के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अपीलांट के विरूद्ध थाना मालाखेड़ा में एफआईआर नं0 0674 दिनांक 21.11.2020 दर्ज है, जिसमें जांच विचाराधीन है तथा उक्त विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर, माननीय न्यायालय एडीजे नं0 1 अलवर एवं सिविल न्यायालय मालाखेड़ा में भी वाद विचाराधीन है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। चूंकि उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण पक्षकारान् के मध्य न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर, माननीय न्यायालय एडीजे नं0 1 अलवर एवं सिविल न्यायालय मालाखेड़ा में विचाराधीन है। जिनमें अपीलांट व रैस्पोडेन्ट के अधिकारों का विनिश्चय होना है। अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश के पश्चात् अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर नियमों के आलोक में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

10/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)